कार्यालय - GWALIOR NAGAR NIGAM



मालिक फोटो

व्यवसाय लायसेंस (अन्ज्ञि)

वर्ष: 2023-24

नगर पालिका निगम अधिनियम १९५६ की धारा ३६६ एवं ४२७ के अंतर्गत निर्मित उपविधियों के अंतर्गत जारी

: OT4237 / 04-23 / 0101 / 000153 अन्ज्ञिप्त क्रमांक शुल्क रूपये : 1000.00 रजिस्ट्रेशन नंबर : 8000649968 आवेदन दिनांक : April 18, 2023 वार्ड नंबर जोन : Ward 30 : 011 आवेदक का नाम : PRAMOD NIVRUTTI GHUGE , S/o / W/o / D/o / C/o / Partner NIVRUTTI LAXMAN GHUGE फर्म या कम्पनी का नाम : REBEL FOODS PRIVATE LIMITED : FIRST FLOOR SHAKUNLAM PLAZA, UNIVERSITY ROAD ABOVE SBI GWALIOR, 474011.Ph. स्थल का विवरण

जिसके लिए लायसेंस प्रदान

किया गया है

व्यवसाय / व्यापार का है : OT4237 : भोजनालय (बी श्रेणी 300 वर्गफिट से अधिक)

लायसेंस अवधि

: 01.04.2023 - 31.03.2024

नोट: १. नगर पालिका निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा निरीक्षण करने के दौरान चाहे जाने पर लायसेंस प्रस्तुत करना होगा !

- २. व्यापार का स्थानं एवं नाम परिवर्तन की दशा में नवीन लायसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा !
- 3. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र, उस पालिका / निगम / परिषद का रहेगा जहाँ से लाइसेंस जारी हुआ है !
- ४. असत्य जानकारी / दस्ताबेजो के आधार पर लायसेंस निरस्त माना जाकर संबंधित पर वैधानिक कार्यवायी की जावेगी !
- ५. उक्त प्रमाण पत्र व्यवसाय की अनुज़प्ति मात्र है ! लोन , जमानत एवं स्वामित्व विवाद के लिए जारीकर्ता विभाग जवाबदार नहीं होगा !
- ६. व्यवसाय बंद होने पर लाइसेंस/ खाता आवेदन प्रस्तुत कर बंद करना अनिवार्य आवश्यक होगा !
- ७. समय-समय पर शासन / जिला प्रशासन सम्बंधित व्यवसाय के सम्बन्ध में जो भी दिशा निर्देश जारी होंगे, उनका पालन करना अनिवार्य होगा !
 - ८. उक्त लाइसेंस व्यवसाय पर लागु नियमो / अधिनियमो के पालन करने की शर्तो पर जारी किया जाता है |
 - ९. उक्त लाइसेंस सिगरेट एवं अन्य तम्बाक् उत्पाद अधिनियम २००३ एवं सार्वजिनकं स्थलों पर धूमपान का प्रतिबंध नियमावली २००८ के उपनियमों के पालन करने की शर्तों पर जारी किया जाता है |

MINI **AGRAWAL**

अन्ज्ञिप्त अधिकारी **GWALIOR NAGAR NIGAM**